बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार पटना।

पत्रांक–टी 3/योजना–23/2015 1396/ पटना, दिनांक– 8.7.15

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,
विशेष कार्य पदाधिकारी
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः– राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भारत सरकार द्वारा संचालित सभी केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख) राज्यांश एवं रू0 240.00 लाख (दो करोड़ चालीस लाख) मात्र केन्द्रांश के रूप में की राशि के व्यय में स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/कार्यालयों में भारत सरकार द्वारा संचालित सभी केन्द्र प्रायोजित योजना (विश्व बैंक संपोषित योजना एवं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास) के माध्यम से संस्थानों का उन्नयन एवं शिक्षित युवक/युवतियों को विश्व स्तरीय तकनिशियन एवं कामगार बनाने का उद्धेश्य है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्यांश रू0 150.00 लााख एवं केन्द्रांश रू0 240.00 लाख कुल रू0 390.00 लाख मात्र उपबंधित है। इस योजनान्तर्गत 08 औ0 प्र0 संस्थानों का उन्नयन, मुख्यालय/औ0 प्र0 संस्थानों का कम्प्यूटरीकरण तथा छः जिलों में एक–एक औ0 प्र0 संस्थान एवं दो–दो कौशल विकास केन्द्र स्थापित किया जाएगा। राशि का व्यय केन्द्रांश एवं राज्यांश भारत सरकार के दिशा–निर्देश के आलोक में करने की स्वीकृति दी जाती है। इस राशि का आवंटन निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना द्वारा आवश्यकतानुसार किया जाएगा। विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक 18–05–2015 को बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक यह स्वीकृति में दी जा रही है।

2– स्वीकृत राशि का व्यय –
राज्यांश– मुख्य शीर्ष 2230– श्रम और रोजगार उपमुख्य शीर्ष –03–प्रशिक्षण, लघु शीर्ष–003 शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण उप शीर्ष–0333 कौशल विकास मिशन मॉग संख्या–26 विपत्र कोड– पी0 2230030030333,पी0 एफ0 एम0 एस0 कोड 9173 में उपबंधित राशि रू0 150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख) ।
केन्द्रांश– मुख्य शीर्ष 2230– श्रम और रोजगार उपमुख्य शीर्ष –03–प्रशिक्षण, लघु शीर्ष–003 शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण उप शीर्ष–0233 कौशल विकास मिशन मॉग संख्या–26 विपत्र कोड– पी0 2230030030233, पी0 एफ0 एम0 एस0 कोड 9173 में उपबंधित राशि रू0 240.00 लाख (दो करोड़ चालीस लाख) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3– इस योजना हेतु योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपलब्ध है।

4– इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे तथा मुख्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगें।

5– इस राशि का निकासी वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2561 दिनांक 17–4–98 के अनुरुप की जाएगी।

6– प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

7– प्रस्ताव में विभागीय मंत्री की संचिका संख्या टी–3/योजना–29/2009 के पृष्ठ–..04../टि0 पर स्वीकृति प्राप्त है।

8– प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संबंधित संचिका के पृ0–.06../टि0 पर है।

विश्वासभाजन
(अशोक कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांकः– टी 3/योजना–23/2015 1396/ पटना, दिनांक– 8.7.15

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग (दो प्रति में)/वित्त विभाग (दो प्रति में)/सचिव, श्रम संसाधन विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग/योजना एवं बजट शाखा, श्रम संसाधन विभाग/निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांकः– टी 3/योजना–23/2015 1396/ पटना, दिनांक– 8.7.15

प्रतिलिपि– निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

विशेष कार्य पदाधिकारी
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांकः– टी 3/योजना–23/2015 1396/ पटना, दिनांक– 8.7.15

प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी
श्रम संसाधन विभाग।